राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प.5(209)खान / ग्रुप–2 / 06 जयपुर, दिनांक : 14 OCT 2010

संशोधित अधिसूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासन की अधिसूचना संख्या प. 5(209)खान / ग्रुप–2 / 06 दिनांक 01.07.2010, जो कि असाधारण राजस्थान राजपत्र दिनांक 01.07.2010 में प्रकाशित हुई है, के द्वारा क्षेत्र निकट ग्राम धनोरा, कारुन्दा, पायरी, मालियाखेडी आदि तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ में 16.306 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को अनारक्षित करते हुए चिन्हित ब्लाक 8.675 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र पर वृहद सीमेंट संयंत्र स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे । समसंख्यक संशोधित अधिसूचना दिनांक 06.08.2010 के द्वारा क्षेत्र दिनांक 10 नवम्बर, 2010 से रिक्त घोषित करते हुए खनन पट्टा हेतु आवेदन पत्र दिनांक 10 नवम्बर, 2010 से 09 दिसम्बर, 2010 की अवधि में आमंत्रित किये गये ।

उपरोक्त प्रश्नगत क्षेत्र दिनांक 10 नवम्बर, 2010 के स्थान पर दिनांक 10 जनवरी, 2011 से रिक्त घोषित किया जाता है तथा उक्त क्षेत्र पर खनन पटटा अनुदान हेतु आवेदन पत्र दिनांक 10 नवम्बर, 2010 से 09 दिसम्बर, 2010 के स्थान पर 10 जनवरी, 2011 से 09 फरवरी, 2011 तक प्राप्त किये जायेंगे ।

रिक्त घोषित किये जाने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र (16.306 वर्ग कि0मी0) में से वृहद सीमेंट संयंत्र स्थापित करने हेतु ब्लाक का क्षेत्र "8.675 वर्ग कि0मी0" के स्थान पर "7.91435 वर्ग कि0मी0 (पूर्व में स्वीकत खनन पटटा, पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र एवं क्वारी लाइसेंस के क्षेत्रों को छोड़कर)" एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है । सीमेंट संयंत्र स्थापित करने हेतु अनारक्षित किये जाने वाले चिन्हित ब्लाक (7.91435 वर्ग कि0मी0) का विवरण निम्नानुसार है :–

वृहत सीमेंट संयंत्र स्थापित करने हेतु चिन्हित ब्लाक की विवरण सूची
(स्थायी बिन्दू मन्दिर नि0ग्रा0 मालियाखेडी टोपोशीट नं. 45 एल/10)

से	तक	बियरिंग	दूरी (मीटर में)
स्थायी बिन्दू मंदिर	A	135°00'	1350.00
A	A'	270°00'	217.3573
A'	B'	360°00'	1470.8129
B'	C'	90°00'	217.3573
C'	D'	360°00'	157.1929
D'	E'	270°00'	102.3550
E'	F'	360°00'	1865.9779
F'	G'	270°00'	737.3625

G'	H'	$360^0 00'$	2006.0163
H'	I	$270^0 00'$	1009.7825
I	J	$180^0 00'$	5500.000
J	A'	$90^0 00'$	1632.6427
कुल क्षेत्रफल – 7.91435 वर्ग कि0मी0			

खनन पट्टा के आवेदन पत्र उक्त सीमेंट संयत्र स्थापित करने हेतु अनारक्षित किये गये चिन्हित ब्लाक 7.91435 वर्ग कि0मी0 की विवरण सूची अनुसार ही स्वीकार किये जायेंगे एवं अन्य सभी शर्तें आदि समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01.07.2010 के अनुसार यथावत रहेंगी ।

इस अधिसूचना द्वारा अनारक्षित क्षेत्र के मानचित्र एवं विवरण सूची कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेड़ा एवं अधीक्षण भू–वैज्ञानिक (ट्रायबल), उदयपुर तथा निदेशालय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर में देखे जा सकते हैं ।

आज्ञा से,

ह0

(सी0 एल0 कायल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :--

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल / मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, खान राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

4122
13/10/10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अधीक्षण खनि अभियंताओं / खनि अभियंताओं / सहायक खनि अभियंताओं / अधीक्षण भू–वैज्ञानिकों / वरिष्ठ भू–वैज्ञानिकों को इस अधिसूचना की प्रति भिजवाने की व्यवस्था करें, साथ ही अधिसूचना को विभागीय वेबसाईट पर भी अप लोड किया जावे ।
2. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति सहित । इस अधिसूचना का असाधारण राजपत्र में शीघ्र प्रकाशन करा राजपत्र की प्रति इस विभाग एवं निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर को भिजवाना सुनिश्चित करें ।
3. रक्षित पत्रावली ।

(प्रहलाद सिन्हा)
शासन सहायक सचिव

SME II